समक्ष, न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.) कैम्प सागर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक :

प्रस्तुति दिनांक :

B.O.R.

30 DEC 2015

निग - 499 - II - 16

तुलसीराम पिता श्री परसराम काछी

साकिन खैरी रामदास, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह

... पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

// बनाम //

जगन्नाथ पिता श्री पूरन काछी

साकिन खैरी रामदास, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह

... उत्तरदाता

04
27-01-16

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा- 50 म.प्र.भू-रा.सं.

पुनरीक्षण खिलाफ- न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय पथरिया के अपील प्र.क्र. 18अ/5, वर्ष 2014-15 में पारित आदेश दिनांक 30.9.2015 के विरुद्ध।

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्न निवेदन प्रस्तुत है:-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:-

इस प्रकार है कि पुनरीक्षणकर्ता ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक अपील श्रीमान् तहसीलदार महोदय बटियागढ़ के रा.प्र.क्र. 1अ/5, वर्ष 2012-13 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2012 के विरुद्ध पेश की, अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पत्र उक्त अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किए जाने बावत् शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया, जिसका उत्तरदाता द्वारा झूठे तथ्यों पर आधारित जवाब प्रस्तुत किया गया। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पत्र इस आधार पर निरस्त करने का आलोच्य आदेश दिनांक 30.9.2015 को पारित किया कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा विलंब माफ के

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 499-II/16 जिला दतिया

तुलसीराम वि- जगन्नाथ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.2.16	मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन किया। तर्कों, एवं निगरानी मेमो में लिखे बिन्दुओं के प्रकाश में मैं यह पाता हूँ कि SDO पथरिया ने आक्षेपित आदेश दि. 30.9.15 एक स्पष्ट एवं बोलते स्वरूप में पारित किया है, जिसमें उन्होंने अपने निर्णय के कारण एवं आधार सम्मिलित किए हैं। उन्होंने यह लिखा है कि आवेदक उनके अधीनस्थ विचारण न्यायालय में उपस्थित रहा था कि विलम्ब के संबंध में कोई प्रमाण उसने उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। इस कारण उन्होंने इसका धारा 5 का आवेदन अस्वीकार किया। आवेदक ने अपने निगरानी मेमो में, विचारण न्यायालय के आदेश के विरुद्ध गुणदोष संबंधी भी कोई ऐसा बिन्दु पेश नहीं किया है जिसके प्रकाश में व्यापक न्यायहित में विलम्ब माफी पर विचार किया जाना उचित समझा जाए। अतः, उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में और आधार पर, मैं यह निगरानी आवेदन अस्वीकार कर प्रकरण रा. मं. से अग्राह्य मानकर समाप्त करता हूँ। पक्षकार सूचित हों। दा. द. हो। (हस्ताक्षर) सदस्य	

[कृ. प. उ.